भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 185*

दिनांक 11.05.2016/21 वैशाख, 1938 (शक) को उत्तर के लिए

यातना के विरूद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय

*185. श्री अविनाश पांड़े :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार यातना के विरूद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय, 1997 का अनुसमर्थन करने की योजना बना रही है, जिस पर भारत ने हस्ताक्षर किए है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) हिरासत में यातना से होने वाली मौतों के मामले में दोषसिद्ध दर में सुधार के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिभाई परथीभाई चौधरी)

(क) से (ग) : एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

******

दिनांक 11.05.2016 के राज्य सभा तारांकित प्रश्न सं. 185 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) और (ख) : यातना निवारण विधेयक, 2010 यातना और अन्य क्रूरता, अमानवीयता या अमानवोचित व्यवहार या दंड के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (कन्वेंशन) के अनुसमर्थन के लिए एक समर्थकारी विधायन के तौर पर तैयार किया गया था। यह विधेयक लोक सभा द्वारा दिनांक 07.05.2010 को पारित किया गया। राज्य सभा ने इस विधेयक को जांच हेतु अपनी चयन समिति के पास भेज दिया। चयन समिति ने कतिपय आशोधनों के साथ अधिनियमित किए जाने हेतु विधेयक की संस्तुति की। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की टिप्पणियां मंगाई गईं। कुछ राज्य सरकारों ने महसूस किया कि भारतीय दंड संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता में पहले से पर्याप्त उपबंध मौजूद हैं और उन्होंने इन कानूनों के मौजूदा उपबंधों में उचित संशोधन करने का सुझाव दिया। इसी बीच, संसदीय कार्य मंत्रालय ने दिनांक 21.05.2014 को सूचित किया कि संविधान के अनुच्छेद 107(5) के अनुसार, दिनांक 18.05.2014 को 15वीं लोक सभा का विघटन हो जाने के कारण यातना निवारण विधेयक, 2010 व्यपगत हो गया है। तथापि, भारतीय दंड संहिता की धारा 330 और 331 को उचित संशोधन करने संबंधी प्रस्ताव की अभी जांच चल रही है।

.....3/-

(ग) : भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार, 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं और इसलिए हिरासत में यातना के कारण होने वाली मौतों से संबंधित अपराधों सहित अपने क्षेत्राधिकार के भीतर अपराध की रोकथाम करने, उसका पता लगाने, दर्ज करने, उसकी जांच और अपराधियों पर अभियोजन चलाने की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने समय-समय पर दिशा निर्देश जारी किए हैं जिनका पालन विधि प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा हिरासत में होने वाली मौतों के मामलों में किया जाना होता है। सरकार ने व्यक्तियों की गिरफ्तारी आदि जैसे संगत मुद्दों के बारे में किए जाने वाले उपायों के संबंध में सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को परामर्शी-पत्र भी जारी किए हैं।